

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली मंगलवार, जनवरी 2, 1979/पौष 12, 1900
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1979/PAUSA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1979

सं. ए-12026/9/78-प्रशा. 1(वि. का.).—केन्द्रीय सरकार, त्रिवंशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में केन्द्रीय विधि सेवा के ग्रेड 1 के स्थायी अधिकारी श्री वी. बी. बभे के तारीख 1 जनवरी, 1979 के पूर्वाह्न से एक मास की अवधि के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा

निवेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, चिवेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

बी. एस. संखों, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार,

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1979

No. A. 12026/9/78-Admn. I(LA).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) the Central Government hereby appoints Shri V. V. Vaze, a permanent officer of Grade I of the Central Legal Service in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) as a full-time Member of the Foreign Exchange Regulation Appellate Board for a further period of one month with effect from the forenoon of the 1st January, 1979 or until the Central Government otherwise directs, whichever is earlier.

B. S. SEKHON, Joint Secy. and Legal Adviser.